// संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, प्रथम एवं द्वितीय तल, खण्ड चार, नवा रायपुर अटल नगर 421002
फोनः0771–2412840, 2413423, फैक्सः 0771–2412849, Email: mining dgmcg@gmail.com

क्रमांक 4681-4707 / खनि–02 / रेत (मूल) / न. क्र. 38 / 1996 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 13 SEP 2019

प्रति

कलेक्टर
जिला सर्व जिला
छत्तीसगढ़

विषय :– **छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 अंतर्गत रेत खदान समूहों का नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने विषयक।**

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 अन्तर्गत रेत खदानों का नीलामी (रिवर्स आक्शन) के माध्यम से आबंटन हेतु जारी एनआईटी में शासन द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुये अधिमानी बोलीदारों का चयन किया जाना है।

निविदा हेतु प्रस्तुत बोलियों में एक से अधिक समरूप न्यूनतम बोली प्राप्त होने पर जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लॉटरी पद्धति के माध्यम से अधिमानी बोलीदार का चयन किये जाने हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जाना होगा।

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.08.2019 को इस संबंध में जारी दिशा निर्देश की कंडिका 7 के संबंध में प्ररूप–3 में पंजी संधारित कर इन्द्राज किया जाना उल्लेखित किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निविदा में प्राप्त लिफाफो को खोलने के पूर्व प्ररूप–3 अनुरूप बोलीदारों की सम्पूर्ण जानकारी, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को विशेष वाहक / ईमेल / फैक्स या अन्य आधुनिक संचार माध्यमों से जानकारी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश में एक ही व्यक्ति / फर्म / कंपनी को, पांच से अधिक रेत खदान समूहो में अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने के पूर्व अन्य जिलों में अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने के पूर्व स्थिति स्पष्ट किया जा सके।

प्ररूप–3 अनुसार जिन बोलीदारों द्वारा एक से अधिक जिलो में बोली प्रस्तुत किया जाना पाया जायेगा, ऐसे जिलो को संचालनालय स्तर से चरणबद्ध समय अंतराल में ही प्राप्त बोलियों को खोलकर प्ररूप–6 में अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने हेतु समय–सारणी निर्धारित किया जायेगा। कृपया संबंधित जिलों को आबंटित समय स्लाट अंतर्गत ही लिफाफा खोलने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा अधिमानी बोलीदार घोषित करने के उपरांत तत्काल संचालनालय को विशेष वाहक / ईमेल / फैक्स या अन्य आधुनिक संचार माध्यमों से जानकारी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अन्य जिलो को सूचित किया जा सके।

संलग्नः– प्ररूप–6

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

o/c

<u>प्ररूप – 06</u>

अधिमानी बोलीदार घोषित करने हेतु प्ररूप

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ....,(छ.ग.)

फोन न...फेक्स न...................................ई–मेल...

क्रमाक................/खनि–01/रेत नीलामी/2019 रायपुर, दिनांक / /2019

विषय :– **छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 अंतर्गत रेत खदान समूहों का नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने विषयक।**

सदर्भ :– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला .... द्वारा रेत खदान समूहों का नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु जारी एनआईटी निविदा, क्रमांक..

––00––

विषयांतर्गत, कायालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के अधीन नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से नीलामी निविदा क्रमांक .... अंतर्गत रेत खदान समूह .... जिसमें समाहित रेत खदान .... एवं .... की नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु दिनांक .... को एनआईटी (निविदा आंमत्रण सूचना) जारी किया गया था।

नीलामी में भाग लिये कुल .... बोलीदारो में से श्री ...., पता .... को, घोषित उच्चतम निर्धारित मूल्य (सिलिंग प्राइस) रूपये .... के विरूद्ध रूपये .... की न्यूनतम बोली प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित चयन प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर नियम 6 (4)(तीन) के तहत आज दिनांक .... समय .... बजे रेत खदान समूह .... हेतु अधिमानी बोलीदार घोषित किया जाता है तथा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिमानी बोलीदार को जिले में कवल एक रेत खदान समूह के लिये ही अधिमानी बोलीदार घोषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार घोषित अधिमानी बोलीदार, नियम 5 में उल्लेखित प्रावधानो के तहत निर्धारित समयावधि में कार्यपालन प्रतिभूति जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला ...., छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक................/खनि–01/रेत नीलामी/2019 रायपुर, दिनांक / / 2019

प्रतिलिपिः–

1. श्री ...., पता .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीगसढ़ की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला ...., छत्तीसगढ़